

For immediate release

Press Release

COVID -19 को रोकने के लिए खाद्य व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण

New Delhi, May 06, 2020: COVID-19 दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में श्रमिकों, ग्राहकों और सभी प्रतिभागियों के लिए COVID-19 के जोखिम वाले उपभोक्ताओं को निर्बाध खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना ही एक चुनौती है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एफ एस एस ए आई ने COVID-19 महामारी के दौरान खाद्य व्यवसायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, विवरण <https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance Note COVID 15 04 2020.pdf> पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, खाद्य व्यवसायों को सक्रिय करने और छूत के जोखिम को कम करने के लिए, एफ एस एस ए आई ने अपने प्रमुख खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम (FoSTaC) के तहत खाद्य व्यवसायों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रशिक्षण का आयोजन साम्राज्यिक प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। खाद्य व्यवसाय www.fostac.fssai.gov.in पर जाए, अपने आपको को FoSTaC पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माताओं, पैकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, खुदरा विक्रेताओं और खाद्य वितरण भागीदारों और एग्जीक्यूटिव्स के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को पूरा करता है। लैंगर, कम्युनिटी किचन आदि जैसी जगहों पर खाना परोसने वाली एजेंसियों / एनजीओ को अपने फूड हैंडलर्स को COVID-19 एहतियाती उपायों के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। FoSTaC पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को भागीदारी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

COVID-19 सावधानियों के लिए प्रशिक्षण के अलावा, एफ एस एस ए आई के FoSTaC कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा पर कई अन्य पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें से विवरण www.fosctac.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

For media queries, contact:

Ruchika Sharma
Food Safety and Standards Authority of India
E: sharmaruchika.21@gmail.com